उत्तरांचल सरकार
वित्त अनुभाग–5
संख्या– 306/XXVII(9)/स्टाम्प/2005
देहरादूनः दिनांक 21 नवम्बर, 2005

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) की धारा 9 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों करके निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अनुसूचित बैकों अथवा लोक वित्तीय संस्थानों (भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रजिस्ट्रीकृत) के द्वारा पुनर्सरचना कम्पनियों एवं प्रतिभूतिकरण कम्पनियों (वित्तीय आस्तियॉ प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निमाण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन स्थापित) के पक्ष में अपालन करने वाली आस्तियों अथवा वित्तीय आस्तियों के अर्जन एवं पुननिर्माण के लिये ऋणों के प्रतिभूतिकरण अथवा अन्तर्निहित प्रतिभूतियों के साथ ऋणों के समनुदेशन की लिखतों पर उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 क के अनुच्छेद 23 के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की गणना अन्तर्निहित प्रतिभूतियों सहित प्रत्याभूत ऋण या समनुदेशित ऋण की राशि पर प्रत्येक एक हजार रूपये अथवा उसके अंश के लिए एक रूपया की दर से (अधिकतम एक लाख रूपये तक) आगणित किए जाने की स्वीकृति प्रदान करते है।

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रतुख सचिव।

संख्या– 306(2)/XXVII(5)/स्टाम्प/(01/स्टाम्प/04) 2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल, देहरादून।
2. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल देहरादून।
4. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
5. समस्त जिला निबन्धक, उत्तरांचल।
6. उप–निदेशक, राजकीय प्रेस, रूड़की को इस अनुरोध सहित कि वे अधिसूचना को उसी दिनांक के आसाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुये उसकी 200 प्रतियॉ शासन के वित्त अनुभाग–5 को अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
7. न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव।